न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2014 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2014/00016

उनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा,जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1– किशना वल्द गोरया कौम चमार सा0 पुरोहित जी की टापरी तह0 लाडपुरा

2– रामप्रताप आत्मज बख्सू जाति लश्करी मेधवंशी निवासी कोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा ।

3– पृथ्वीराज आत्मज जगन्नाथ जाति लश्करी मेधवंशी।

4– धन्नालाल आत्मज जगन्नाथ जाति लश्करी मेधवंशी जाति लश्करी मेधवंशी निवासीगण कोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा।

5– शान्तिलाल आत्मज जगन्नाथ जाति लश्करी मेधवंशी निवासी कोटा सोगरिया तह0 लाडपुरा कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

5/1– गीताबाई पत्नि स्व0 शांन्तिलाल जाति लश्करी मेधवंशी निवासी सोगरिया तह0 लाडपुरा कोटा ।

5/2– शेखर पुत्र स्व. शांतिलाल जी नाबालिंग जर्ये वली माता गीताबाई।

5/3 –निशा पुत्री स्व. शांतिलाल जी नाबालिंग जर्ये वली माता गीताबाई पत्नि स्व0 शांतिलाल जाति लश्करी मेधवंशी निवासी कोटा सोगरिया तह0 लाडपुरा कोटा।

6– अनोखबाई पुत्र स्व0 जगन्नाथ पत्नि रामहेत जाति लश्करी मेधवंशी निवासी ग्राम नया नोहरा तह0 लाडपुरा कोटा

7– मोडूलाल फोत का0मु0:–

7/1– रधुवीर आत्मज मोडूलाल जाति लश्करी मेधवंशी निवासी सोगरिया कोटा तहसील लाडपुरा कोटा

7/2– संतोष पुत्री मोडूलाल जी पत्नि अशोंक जाति लश्करी मेधवंशी निवासी ग्राम मारवाडा चौकी तहसील लाडपुरा,जिला कोटा।

8– सरवनी उर्फ श्रवणीबाई पत्नि जगन्नाथ निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा तह0 कोटा

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद,जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

अति. जिला कलक्टर
कोटा

उपस्थित :– 1. श्री बनराम शर्मा, श्री नरेन्द्र गुप्ता,श्री संजय शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेन्ट)
2– सरकार पैरोकार

कार्यवाही अन्तर्गत राजगामी सम्पति अधिनियम बाबत् धोषित किये जाने लावारिस (राजगामी)सम्पति

निर्णय

दिनांकः– 8/01/2026

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राजस्थान राजस्व नियमानवली संग्रह विषय सूची एवं 59 क्लास 10 (1) अनुसार निम्नलिखित सम्पति को राजगामी सम्पति धोषित किये जाने हेतु दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया।

1– यह कि ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तह0 लाडपुरा मे खातेदारान् किशना वल्द गोरया कौम चमार निवासी पुरोहित जी की टापरी की मृत्यु उपरान्त अपने पीछे कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नही होना पटवारी रिपोर्ट हल्का डडवाडा दिनांक 17.11.11 अनुसार ज्ञात हुआ है।

2– उक्त खातेदार की सम्पति का विवरण निम्न प्रकार है।

क0सं0	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा
1–	रंगतालाब उर्फ कालातालाब	किशना वल्द गोरिया कौम चमार नि0 पुरोहित जी की टापरी तह0 लाडपुरा	202	1.14 है0

नियम 10(2) के अन्तर्गत श्रीमान द्वारा जॉच उपरान्त राजगामी सम्पति धोषित किये जाने के प्रावधान व निर्देश है राजस्व नियमावली संग्रह के उक्त नियम की छाया प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त भूमि बाबत् नियम 135 (2) में वसीयत जॉच की कार्यवाही जैरकार है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वाद के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत किये।

(1) – रिपोर्ट पटवारी हलका दिनांक 17.11.2011 नकल जमाबंदी संम्वत 2064–67 खाता नं. 43/40 ख.न. 202/1.14 है की प्रमाणित छायाप्रति।

(2) – किशना आ0 गोरिया की मृत्यु के संबध में मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(3) – नामान्तकरण संयया 616 दिनांक 22.06.2010 नामान्तकरण संख्या 623 दिनांक 9.8.2010 की प्रमाणित प्रति जो इस भूमि के संबध में दाखिल खारिज किय गये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत राजगामी सम्पति अधिनियम बाबत् धोषित किये जाने लावारिस (राजगामी)सम्पति दर्ज रजिस्टर की जाकर विवादित भूमि के संबध में विज्ञप्ति जारी कर विवादित आराजीयात् के प्रथम खातेदार किशना वल्द गोरिया साकिन पुराहित जी की टापरी मेधवंशी खातेदार की राजस्थान राजपत्र अंक 49 दिनांक 6.3.2014 भाग–7 के पृष्ठ संख्या पर प्रकाशित कर तहसीलदार लाडपरा को वास्तें मुश्तहरी हेतु भिजवाई गई। पत्रावली में अभिभाषक श्री बलराम शर्मा द्वारा प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र रामप्रताप को पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया। बाद सुनवाई वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को कम 2 लगायत 9 पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी पृथ्वीराज की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.9.23 को रामप्रताप की ओर से श्री संजय शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार किशना जी आत्मज गोरिया जाति चमार (मेधवंशी) निवासी पुरोहित जी की टापरी एवं नयापुरा कोटा के खाते एवं कब्जे काश्ते की ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब स्थित हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 1.14 है0 आराजी के संबध में लावारिस कार्यवाही प्रारम्भ कर प्रतिपक्षीगण को नोटिस प्रस्तुत करने में त्रुटि की है मृतक खातेदार किशना जी की उपरोक्त आराजीयात् एवं कृषि भूमि नहरी किस्म की है, प्रतिपक्षीगण उपरोक्त भूमि पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से काबिज है एवं फसल कर रहे है। उपरोक्त आराजीयात् दो फसली है प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि का लगान एवम् सिचाई शुल्क अदा कर रहे है। कृषि आराजीयात के संबध में राजस्थान राजगामी सम्पति अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। इस कारण सम्मानीय न्यायालय द्वारा दी गई कार्यवाही एवम् प्रतिपक्षीगण को प्रैषित नोटिस सम्बधी अवैध,त्रुटिपूर्ण अधिकार विहिन एवम् मनमानी होने से निरस्त होने योग्य है तथा ड्रोप किये जाने योग्य है। खातेदार किशना जी की पत्नि का उनके जीवनकाल मे ही स्वर्गवास हो गया था किशन जी का स्वर्गवास दिनांक 1957 मे हुआ था किशन जी के कोई जायन्दा संन्तान नही थी उनके निकटतम रक्त सम्बन्धी बख्शू आत्मज राधाकिशन एवं जगन्नाथ आत्मज किशना लश्करी मेधवंशी निवासीगण कोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा थे जो प्राकृतिक उत्तराधिकारी थे। बख्शू जी का भी स्वर्गवास हो गया है। मृतक किशना जी के बख्शू जी रिश्ते में भाई एवं जगन्नाथ जी के भतीजे थे। रामप्रताप बक्शू जी का पुत्र था रामप्रताप पुत्र बख्शू जी व जगन्नाथ जी की सेवा से प्रसन्न होकर उनके जीवनकाल में ही उक्त आराजी के संबध में रामप्रताप व जगन्ननाथ के पक्ष में रूबरू गवाह वसीयतनामा निष्पादित किया था एवं उपरोक्त कृषि आराजीयात् के संबध में रामप्रताप व जगन्नाथ को अपना वसीयती उत्तराधिकारी धोषित किया था। रामप्रताप व जगन्नाथ जी मृतक किशना जी के वसीयत उत्तराधिकारी होने से कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये है।

उपरोक्त कृषि आराजी के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में हक धोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्थान सरकार के विरूद्व प्रस्तुत किया था उक्त वाद न्यायालय द्वारा 8.05.2015 को डिकी फरमाया जाकर पक्षकारान् को खातेदार धोषित किया गया है। न्यायालय पारित निर्णय एवं डिकी की तहसीलदार लाडपुरा को जानकारी है उक्त निर्णय एवं डिकी की कोई अपील किसी भी न्यायालय में पेश नही हुई है। विवादित आराजी के संबध में

अति० जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षीगण को खातेदार टीनेन्ट धोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आराजीयात् के संबध में कानूनन लावारिस की कार्यवाही नही की जा सकती है और न ही उपरोक्त आराजीयात् को लावारिस सम्पति धोषित किया जा सकता है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप कर खारिज फरमाई जावे।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण में सरकार की ओर से अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक खातेदार किशना आत्मज गोरिया का कोई विधिक वारिस नही है। इसलिए राजगामी सम्पति अधिनियम में कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जो न्यायोचित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वसीयत के आधार पर रामप्रताव व अन्य को उत्तराधिकारी धोषित किया गया है जो निम्न कारण से प्रभावशून्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में जिस वसीयत को आधार बनाया गया है उक्त वसीयत का प्रमाणीकरण भी नही किया गया है प्रमाणीकरण के अभाव में वसीयत का प्रभाव शून्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने हित/हितांश तक ही वसीयत कर सकता है। अतः भूमि का स्वअर्जित होना आवश्यक् है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में भूमि के स्वअर्जित या पैतृक होने बाबत् जॉच भी नही की गई है। स्पष्ट्तया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 का ध्यान रखा गया है और ना ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत वसीयत के निर्विवाद होने की जॉच की गई है। उक्त वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 के विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रमाणित व साबित नही होने से प्रभाव शून्य है इसके उपरान्त भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा सतही निर्णय पारित कर आंवेदको का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय निरस्त करवाने हेतु अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का आवेदन स्वीकार कर वाद में संदर्भित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली में बहस सुनी गई। सरकार पैरोकार की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक खातेदार किशना आत्मज गोरिया का कोई विधिक वारिस नही है। इसलिए राजगामी सम्पति अधिनियम में कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जो न्यायोचित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वसीयत के आधार पर रामप्रताव व अन्य को उत्तराधिकारी धोषित किया गया है जो निम्न कारण से प्रभावशून्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में जिस वसीयत को आधार बनाया गया है उक्त वसीयत का प्रमाणीकरण भी नही किया गया है प्रमाणीकरण के अभाव में वसीयत का प्रभाव शून्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने हित/हितांश तक ही वसीयत कर सकता है। अतः भूमि का स्वअर्जित होना आवश्यक् है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में भूमि के स्वअर्जित या पैतृक होने बाबत् जॉच भी नही की गई है। स्पष्ट्तया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 का ध्यान रखा गया है और ना ही

अति. जिला कलेक्टर
कोटा

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत वसीयत के निर्विवाद होने की जॉच की गई है। उक्त वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 के विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रमाणित व साबित नही होने से प्रभाव शून्य है इसके उपरान्त भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा सतही निर्णय पारित कर आवेदको का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का आवेदन स्वीकार कर वाद में संदर्भित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त कृषि आराजी के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में हक धोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्थान सरकार के विरूद्व प्रस्तुत किया था उक्त वाद न्यायालय द्वारा 8.05.2015 को डिकी फरमाया जाकर पक्षकारान् को खातेदार धोषित किया गया है। न्यायालय पारित निर्णय एवं डिकी की तहसीलदार लाडपुरा को जानकारी है। विवादित आराजी के संबध में न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षीगण को खातेदार टीनेन्ट धोषित किया गया है। अप्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072–2077 माल ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा तह0 लाडपुरा की आराजी खसरा न. 202 रकबा 1.14 है0 भूमि के वर्तमान में भी खातेदार है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आराजीयात् के संबध में कानूनन लावारिस की कार्यवाही नही की जा सकती है और न ही उपरोक्त आराजीयात् को लावारिस सम्पति धोषित किया जा सकता है। अतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्व की गई कार्यवाही ड्रोप कर खारिज फरमाई जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजीयात के संबध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर में भी कार्यवाही विचाराधीन है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.बी.जे. 2002 की प्रति पेश की गई।

पत्रावली में अपील अप्रार्थीगण व सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् अनुसार प्रकरण में विवादित आराजीयात् के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को खातेदार धोषित किया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा भी बहाल रखा गया है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा भी दौराने बहस कथन किया गया है कि विवादित आराजीयात् के संबध में कार्यवाही न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेंर में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072–2077 माल ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा तह0 लाडपुरा की आराजी खसरा न. 202 रकबा 1.14 है0 भूमि में न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर की डिकी संख्या 4155/2024, बउनवान मोहनलाल बनाम रामप्रताप निर्णय दिनांक 12.07.2024 से राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का नोट अंकित है। चूकि विवादित आराजीयात् के संबध में कार्यवाही न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर मे कार्यवाही विचाराधीन है राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी पर न्यायालय का स्थगन भी है ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात् के संबध में न्यायालय के आदेश के अध्याधीन ही कार्यवाही की जानी है।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विवादित आराजीयात् के संबध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कार्यवाही अन्तर्गत राजगामी सम्पति अधिनियम बाबत् धोषित किये जाने लावारिस (राजगामी) सम्पति स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः तहसीलदार लाडपरुा कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कार्यवाही अन्तर्गत राजगामी सम्पति अधिनियम बाबत् धोषित किये जाने लावारिस (राजगामी) सम्पति अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा